

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांक :— 9 / उपार्कीटोअनु०—15 / 2013

कृ०, पटना, दिनांक

मई, 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भांप्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सुरेश सेट्ठी,  
मेसर्स एम० डी० बायोकोल्स प्रा० लि०,  
C/o-बी० एम० ट्रेडर्स  
शॉप नं०-6, बाजार समिति,  
रामचन्द्रपुर, बिहारशरीफ, नालन्दा।

**विषय :— कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—86 दिनांक 10.10.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके अविदेन पत्र, कोषागार चालान, अन्य सुसंगत कागजात एवं सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नालन्दा, बिहारशरीफ से प्राप्त स्थल जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित अनुज्ञप्ति संख्या—86 दिनांक 10.10.2013 का नवीकरण दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	वैद्यता तिथि
1	Trichoderma Viride 1.0% WP	26-04-2016
2	Beauveria Bassiana 1.5 % WP	16-10-2015
3	Pseudomonas Flourescens 0.05% WP	26-04-2016
4	Triacontanol EW 0.1% Min	31-12-2016
5	Triacontanol GR 0.05% Min	31-12-2016
6	Neem Oil Based EC Containing Azadirachtin 0.03% (300 PPM) Min	31-12-2016
7	Neem Seed Kernel EC Containing Azadirachtin 0.15% (1500 PPM) Min	31-12-2016
8	Gibberellic Acid 0.001% L	31-12-2016
9	Gibberellic Acid 0.186% SP	31-12-2016

2. उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भण्डारण कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :— मे० एम० डी० बायोकोल्स प्रा० लि०, C/o-बी० एम० ट्रेडर्स, शॉप नं०-6, बाजार समिति, रामचन्द्रपुर, बिहारशरीफ, नालन्दा।

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानो के अनुसार किया जाय।

4—अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशी के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को समय भेजे।

W

7—अमानक / मिलावटी / नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट / विक्रय प्रतिनिधि एवं विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

8— कीटनाशी बिकी / भंडारण अनुज्ञापि संख्या—86 दिनांक 10.10.2013 मूल रूप में सलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,  
ह०/-  
(धर्मेन्द्र सिंह)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ३७५३

पूर्ण  
/कृ०, पटना, दिनांक १२ मई, २०१५

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना / संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना / सहायक निदेशक (सारियकी), बिहार, पटना / जिला कृषि पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।